2016 का विधेयक संख्यांक 69

# प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016

---

## खंडों का क्रम

---


खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।
3. प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना और निगमन।
4. राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की घोषणा।
5. प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना का प्रभाव।
6. अधिकारिता।
7. प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्य।
8. प्रादेशिक केन्द्र के कृत्य।
9. प्रादेशिक केन्द्र का यूनेस्को की अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना।
10. प्रादेशिक केन्द्र की शक्तियां।
11. प्रादेशिक केन्द्र का सभी जातियों, पंथों, मूलवंश या वर्गों के लिए खुला होना।
12. प्रादेशिक केन्द्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, आदि।
13. प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी।
14. शासक बोर्ड।
15. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।
16. अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य।
17. कार्यक्रम सलाहकार समिति।
18. कार्यपालिका समिति।
19. वित्त समिति।
20. प्रादेशिक केन्द्र के अन्य प्राधिकरण।
21. अध्ययन बोर्ड।
22. प्रादेशिक केन्द्र के अधिकारी।
23. कार्यपालक निदेशक।
24. संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष।
25. सहयुक्त निदेशक (प्रशासन)।
26. कुलसचिव।
27. वित्त अधिकारी।

खंड

28. अन्य अधिकारी।

29. प्रादेशिक केन्द्र को अनुदान और उधार।

30. प्रादेशिक केन्द्र की निधि।

31. वार्षिक रिपोर्ट।

32. वार्षिक लेखे।

33. विवरणियां और जानकारी।

34. प्रादेशिक केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

35. प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा-शर्तें।

36. बैठकें।

37. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

38. प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

39. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

40. माध्यस्थम्।

41. परिनियम बनाने की शक्ति।

42. अध्यादेश बनाने की शक्ति।

43. विनियम।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

45. भूतलक्षी रूप से परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

2016 का विधेयक संख्यांक 69

[दि रीजनल सेंटर फार बायोटेक्नोलोजी बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

# प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016

**प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक संस्था को, राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए**

**विधेयक**

तारीख 14 जुलाई, 2006 को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बीच भारत में प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षा केन्द्र की स्थापना और उसके प्रचालन के लिए करार किया गया था।

और उक्त करार के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने तारीख 20 अप्रैल, 2009 के कार्यपालिक आदेश द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र स्थापित किया था;

और प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को सुदृढ़ बनाने और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा सम्बन्धित बहु शिक्षण सम्बन्धी क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाए जाने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, संकायाध्यक्ष, उप संकायाध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अभ्यागत आचार्य, ख्यातिप्राप्त आचार्य, मानद आचार्य, सम्बद्ध आचार्य और प्रतिष्ठित आचार्य भी हैं, जो प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में शिक्षा देने, प्रशिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं या लगाए जाएं, अभिप्रेत हैं;

(ख) ''बोर्ड'' से धारा 14 के अधीन गठित शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्ययन बोर्ड'' से धारा 21 में निदिष्ट प्रादेशिक केन्द्र का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) ''कर्मचारी'' से प्रादेशिक केन्द्र द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रादेशिक केन्द्र के अधिकारी, शैक्षाणिक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;

(च) ''कार्यपालिका समिति'' से धारा 18 के अधीन गठित प्रादेशिक केन्द्र की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है;

(छ) ''कार्यपालक निदेशक'' से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रादेशिक केन्द्र का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है;

(ज) ''विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र'' से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र, अभिप्रेत है;

(झ) ''छात्र निवास'' से प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों के लिए, उसके द्वारा बनाए गए या मान्यताप्राप्त किसी भी नाम से ज्ञात निवास की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ञ) ''संस्था'' के अन्तर्गत भारत के भीतर या बाहर के ऐसे स्वशासी संगठन सम्मिलित हैं जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण दे रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, और जो भारत सरकार या उद्योग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों द्वारा समर्थित हैं;

(ट) ''अध्यादेश'' से धारा 42 के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा विरचित अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(ठ) ''कार्यक्रम सलाहकार समिति'' से धारा 17 के अधीन गठित प्रादेशिक केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ड) ''क्षेत्र'' से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के राज्यक्षेत्रों और साधारणतया, एशिया क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ढ) ''प्रादेशिक केन्द्र'' से धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अभिप्रेत है;

(ण) ''विनियम'' से धारा 43 के अधीन प्रादेशिक केन्द्र के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(त) ''परिनियम'' से धारा 41 के अधीन बोर्ड द्वारा विरचित परिनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) ''यूनेस्को'' से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अभिप्रेत है।

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना और निगमन।

3. (1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद, हरियाणा को "प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र" नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद चलाया जाएगा।

(2) प्रादेशिक केन्द्र, धारा 13 में विनिर्दिष्ट शासक बोर्ड और प्राधिकारियों से मिलकर बनेगा।

(3) प्रादेशिक केन्द्र का मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में के उसके परिसर में होगा।

राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की घोषणा।

4. प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक संस्था के उद्देश्य ऐसे होंगे जिससे उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था बनाया जा सके, यह घोषित किया जाता है कि प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना का प्रभाव।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखतों में विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रादेशिक केन्द्र के प्रति निर्देश है;

(ख) विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र की या उससे संबद्ध सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां और आस्तियां प्रादेशिक केन्द्र में निहित हो जाएंगी;

(ग) विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र के सभी अधिकार और दायित्व प्रादेशिक केन्द्र को अन्तरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) खंड (ग) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र द्वारा, उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी संविदाएं और किए जाने वाले ऐसे सभी मामले और प्रयुक्त चीजें उक्त प्रादेशिक केन्द्र के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में उक्त तारीख से ठीक पहले प्रादेशिक केन्द्र द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई, प्रयुक्त की जाने वाली समझी जाएगी;

(ङ) उस तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र को देय सभी धन राशियां प्रादेशिक केन्द्र को देय समझी जाएंगी।

(च) सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो ऐसी तारीख से ठीक पहले विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई थी या जो संस्थित की जा सकती थीं प्रादेशिक केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

(छ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र के अधीन पद धारण करने वाला या उसमें अध्यापन करने वाला प्रत्येक कर्मचारी (जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी भी हैं जिन्हें विद्यमान प्रादेशिक केन्द्र में शिक्षा देने या प्रशिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया है) उसी सेवाधृति तक और पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति और अन्य सेवांत सुविधाओं की बाबत सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर प्रादेशिक केन्द्र में अपना पद

धारण करेगा या उसमें अध्यापन जारी रखेगा जैसे वह उस दशा में पद धारण करता यदि अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारी के रूप में, यदि ऐसा कर्मचारी ऐसी अवधि के भीतर प्रादेशिक केन्द्र का कर्मचारी होने का विकल्प नहीं लेता है तब तक बना रहेगा जब तक उस तारीख से छह मास की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रादेशिक केन्द्र द्वारा उसकी नियमित सेवा में किसी कर्मचारी के आमेलन से ऐसा कर्मचारी, उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा। 1947 का 14

अधिकारिता।

6. प्रादेशिक केन्द्र की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर प्रादेशिक केन्द्र द्वारा स्थापित ऐसे केन्द्रों और अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए स्थापित विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों पर होगा।

प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्य।

7. प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) प्रौद्योगिकी नीति विकास सहित, जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और ऐसे संबंधित क्षेत्रों में जैसा वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करते हुए ज्ञान का प्रसार और उसमें अभिवृद्धि करना;

(ख) प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत विकास के उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण करना;

(ग) प्रादेशिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुकर बनाना;

(घ) क्षेत्र में के देशों में जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता केन्द्रों का सृजन करना और क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करना;

(ङ) लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार और कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करना और उसको सुदृढ़ करना;

(च) भारत के भीतर और बाहर के क्षेत्र में उपग्रह केन्द्रों के नेटवर्क का संवर्धन करना और उसको सुकर बनाना।

प्रादेशिक केन्द्र के कृत्य।

8. प्रादेशिक केन्द्र के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) ऐसे अवसंरचना और प्रौद्योगिकी मंचों की स्थापना करना जो जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत हो;

(ख) जैव प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण क्रियाकलापों का निष्पादन करना जिसके अन्तर्गत शिक्षा और अनुसंधान में डिग्रियां प्रदान करना भी है;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी में नवीनता लाने वाले अनुकूल मानव संसाधन उत्पन्न करना, विशिष्टतया नए अवसरों के क्षेत्रों में और अपूर्ण क्षेत्रों में योग्यता की कमी को पूरा करने के लिए;

(घ) क्षेत्र में सुसंगत अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक खोजें करना;

(ङ) भारत के भीतर या क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर वैज्ञानिक परिसंवाद और सम्मेलन आयोजित करना तथा जैव प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं संचालित करना;

(च) जैव संबंधी जानकारी के लिए डाटा बैंक की स्थापना करने की दृष्टि से सर्वत्र उपलब्ध जानकारियां एकत्र करना;

(छ) स्थानीय पणधारी समुदायों के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुसंगत स्थानीय ज्ञान को नेटवर्किंग के माध्यम से एकत्र करना और उसका प्रसार करना;

(ज) बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए ऐसी नीति का विकास और उसका कार्यान्वयन करना, जो प्रादेशिक केन्द्र में के अनुसंधान में अंतर्वलित पणधारियों के लिए साम्यापूर्ण और न्यायसंगत हो;

(झ) पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के माध्यम से विभिन्न देशों में अनुसंधान क्रियाकलापों के परिणाम का प्रसार करना;

(ञ) राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों के साथ जैव प्रौद्योगिकी के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास नेटवर्किंग कार्यक्रम का संवर्धन करना और प्रादेशिक स्तर पर सहयोग करने वाली संस्थाओं के साथ फायदों की साम्यपूर्ण साझेदारी का संवर्धन करने के लिए सहयोग करने वाली संस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का संवर्धन करना;

प्रादेशिक केन्द्र का यूनेस्को की अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना।

**9.** प्रादेशिक केन्द्र अन्य राष्ट्रीय, प्रादेशिक और युनेस्को की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के घनिष्ठ सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्रवृत्त करेगा और अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

प्रादेशिक केन्द्र की शक्तियां।

**10.** (1) प्रादेशिक केन्द्र की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) जैव प्रौद्योगिकी और विभिन्न विद्या शाखाओं के अंतरापृष्ठ पर संबंधित विषयों जिसके अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरी तथा ऐसे अन्य सुसंगत विज्ञान, जो प्रादेशिक केन्द्र द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं में मास्टर डिग्री (जिसके अंतर्गत मास्टर डिग्री के प्रमुख एकीकृत कार्यक्रम भी हैं) स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डाक्टर संबंधी डिग्री के लिए उपबंध करना;

(ख) जैव प्रौद्योगिकी और ऐसे सम्बन्धित क्षेत्रों, (जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं) के विकास, विस्तार, क्रियान्वयन और विनियमन से संबंधित विनिर्दिष्ट विषयों पर जैव प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठक्रमों का उपबन्ध करना।

(ग) जैव प्रौद्योगिकी में बाहरी अध्ययनों, प्रशिक्षण और प्रसार सेवाओं को आयोजित करना और कराना;

(घ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से खंड (क) में निर्दिष्ट सम्मानित डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधित सम्मान प्रदान करना;

(ङ) प्रादेशिक केन्द्र द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद या अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत में उच्चतर विद्या संस्था के रूप में मान्यता देना और परिनियमों में अधिकथित सन्नियमों के अनुसार ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(छ) किसी अन्य संस्था में, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो भारत के बाहर अवस्थित हैं, कार्यरत व्यक्तियों को प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों के रूप में, ऐसी अवधि के लिए जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति करना;

(ज) ऐसे प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस पर नियुक्ति करना;

(झ) किसी संस्था को जिसके अन्तर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश से बाहर अवस्थित हैं, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए और जो प्रादेशिक केन्द्र द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अवधारित किए जाएं, या करार पाए जाएं, सहकार करना या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(ञ) भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की, जो परिनियमों द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं, स्थापना करना और उन्हें बनाए रखना;

(ट) ऐसी अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां पदक या पुरस्कार जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संस्थित और प्रदान करना;

(ठ) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसी अन्य संस्थाओं, उद्योगों या अन्य संगठनों के साथ जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, ऐसे ठहराव करना जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ड) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य पणधारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(ढ) ऐसे अभ्यागत आचार्यों, ख्यातिप्राप्त आचार्यों, मानद आचार्यों, सम्बद्ध आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो प्रादेशिक केन्द्र की उन्नति और उद्देश्यों के लिए योगदान दे सकें;

(ण) प्रादेशिक केन्द्र में प्रवेश के मानकों को अवधारित करना जिसके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है;

(त) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग और उसकी प्राप्ति को निश्चित करना;

(थ) प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों के लिए छात्र निवास या निवास और छात्रों के लिए अन्य वास-सुविधाएं स्थापित करना, मान्यता देना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(द) समस्त प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(ध) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपायों को करना जो प्रादेशिक केन्द्र द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(न) प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्थाएं करना;

(प) प्रादेशिक केन्द्र के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना तथा किसी जंगम या स्थावर संपत्ति जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, का अर्जन, धारण और प्रबंध करना तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसका व्ययन करना;

(फ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रादेशिक केन्द्र की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(ब) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने में आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक केन्द्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का उच्च स्तर बनाए रखने का प्रयास करेगा और प्रादेशिक केन्द्र, ऐसे अन्य उपायों में से, विशिष्टतया, निम्नलिखित उपाय, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों करेगा, अर्थात्:—

(क) सावधिक पुनरीक्षण और पुनर्संरचना के लिए उपबंध के साथ नवीनतम पाठ्यक्रमों और अध्ययनों कार्यक्रमों का संचालन;

(ख) प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली के साथ ई-गवर्नेंस का संवर्धन।

प्रादेशिक केन्द्र का सभी जातियों, पंथों, मूलवंश या वर्गों के लिए खुला होना।

11. प्रादेशिक केन्द्र या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था स्त्री या पुरुष सभी व्यक्तियों चाहें वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, नस्ल, राष्ट्रीयता या वर्ग के हों, खुला रहेगा और प्रादेशिक केन्द्र या ऐसी संस्था के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को प्रादेशिक केन्द्र या ऐसी संस्था के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने के लिए या प्रादेशिक केन्द्र या ऐसी संस्था में छात्र के रूप में प्रवेश पाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धार्मिक विश्वास या मान्यता सम्बन्धी मापदंड अपनाएं या उस पर अधिरोपित करे।

प्रादेशिक केन्द्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आदि।

12. प्रादेशिक केन्द्र या प्रादेशिक केन्द्र की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति ऐसे विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों का उपभोग करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक केन्द्र के संबंध में यूनेस्को और भारत सरकार के बीच समय समय पर किए गए करार के अनुसरण में प्रदान करे।

प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी।

13. प्रादेशिक केन्द्र के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात्:–

(i) शासक बोर्ड;

(ii) कार्यक्रम सलाहकार समिति;

(iii) कार्यपालिका समिति;

(iv) वित्त समिति;

(v) अध्ययन बोर्ड; और

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा प्रादेशिक केन्द्र का प्राधिकारी घोषित किया जाए।

शासक बोर्ड।

14. (1) इसका एक शासक बोर्ड होगा जो क्षेत्रीय केन्द्र शासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बोर्ड, प्रादेशिक केन्द्र का अपीली निकाय होगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:–

(क) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, पदेन अध्यक्ष;

(ख) सुसंगत क्षेत्र, में के तीन विख्यात वैज्ञानिक जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी से नीचे नहीं होंगे, उनमें से कम से कम एक भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली महिला होगी,–पदेन;

(ग) यूनेस्को के महानिदेशक का प्रतिनिधि;

(घ)यूनेस्को के अन्य सदस्य राज्यों में से ऐसे दो प्रतिनिधि जिनका ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रादेशिक केन्द्र को चलाने के लिए सारभूत रूप से संसाधनों का योगदान है– सदस्य;

(2) कार्यक्रम सलाहकार समिति का अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों का स्थायी आमंत्रिती होगा।

(3) प्रादेशिक केन्द्र का कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की बैठकों का संयोजक होगा।

(4) अध्यक्ष, सामान्यतया, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(5) बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विनिश्चित की जाए।

(6) पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड, बैठकों के संचालन और कारबार के संव्यवहार में (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रादेशिक केन्द्र की वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन करना;

(ख) प्रादेशिक केन्द्र की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और प्रादेशिक केन्द्र के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ग) प्रादेशिक केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(घ) प्रादेशिक केन्द्र की आंतरिक प्रक्रियाओं का जिसके अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया और कमचारिवृंद संबंधी विनियम भी हैं अध्ययन और उनका अनुमोदन करना;

(ङ) प्रादेशिक केन्द्र के संगठनात्मक ढांचे का और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमोदन करना;

(च) प्रादेशिक केन्द्र की सेवाओं की परिधि को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्ताव अभिप्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों का ऐसा विशेष परामर्शकारी सत्र बुलाना जिसमें वह अन्य हितबद्ध देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगा;

(छ) प्रादेशिक केन्द्र से सुसंगत परियोजनाओं और क्रियाकलापों को करना और निधि जुटाने की युक्ति और सामर्थता का विस्तार करना;

(ज) परिनियम विरचित करना।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य।

16. (1) अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं या जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड का कोई सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

कार्यक्रम सलाहकार समिति।

17. (1) कार्यक्रम सलाहकार समिति, प्रादेशिक केन्द्र का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक केन्द्र वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसका निष्पादन करने का पुनर्विलोकन और मानीटरी करने की सलाह देगी।

(2) कार्यक्रम सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कार्यक्रम सलाहकार समिति का अध्यक्ष;

(ख) युनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, दो सदस्य;

(ग) यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ) के सदस्य राज्यों में से चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य जिन्होंने अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जैव प्रौद्योगिकी नीति और विधिक विषयों में विशेज्ञता और अनुभव रखने वाले, दो सदस्य;

(ङ) विख्यात वैज्ञानिक या विद्याव्यसनी व्यक्तियों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, छह सदस्य;

(3) कार्यपालक निदेशक, कार्यक्रम सलाहकार समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(4) कार्यक्रम सलाहकार समिति,—

(क) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की योजना बनाने और उसका समन्वय करने संबंधी विषयों पर सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) प्रादेशिक केन्द्र की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के उपांतरणों या पुनर्विलोकन की सिफारिश करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ग) प्रादेशिक केन्द्र के कार्यक्रमों का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन करने, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी;

(घ) बोर्ड द्वारा या कार्यपालक निदेशक द्वारा उसे निर्दिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी विषय पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ङ) ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करने और ऐसे सभी कृत्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(च) अध्यादेश विरचित करने के लिए उत्तरदायी होगी; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उनकी पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए कार्यक्रम सलाहकार समिति, बैठकों के संचालन और अपने कारबार के संव्यवहार के लिए (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विहित कर सकेगी:

परन्तु कार्यक्रम सलाहाकर समिति, शासक बोर्ड के समक्ष अपनी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगी।

कार्यपालिका समिति।

**18.** (1) कार्यपालिका समिति, प्रादेशिक केन्द्र का प्रबंध करने और प्रबंध संबंधी बोर्ड की नीतियों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) कार्यपालिका समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

वित्त समिति।

**19.** (1) वित्त समिति, वित्तपोषण का पुनर्विलोकन करेगी, वार्षिक बजट प्राक्कलनों, लेखे विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करेगी तथा उस पर बोर्ड को सिफारिशें करेगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य, उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्रादेशिक केन्द्र के अन्य प्राधिकरण।

**20.** धारा 13 के खंड (vi) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा, उनके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्ययन बोर्ड।

**21.** अध्ययन बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य और उसके सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

प्रादेशिक केन्द्र के अधिकारी।

**22.** प्रादेशिक केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात्:–

(i) कार्यपालक निदेशक;

(ii) संकायाध्यक्ष;

(iii) उप-संकायाध्यक्ष;

(iv) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन);

(v) कुलसचिव;

(vi) वित्त अधिकारी; और

(vii) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा प्रादेशिक केन्द्र के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कार्यपालक निदेशक।

**23.** (1) कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) कार्यपालक निदेशक—

(क) प्रादेशिक केन्द्र का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा;

(ख) बोर्ड द्वारा स्थापित कार्यक्रमों और निदेशों के अनुरूप प्रादेशिक केन्द्र के कार्य को निर्दिष्ट करेगा;

(ग) बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली कार्य योजना का प्रारूप और बजट का प्रस्ताव करेगा;

(घ) बोर्ड के लिए कार्यसूची तैयार करेगा;

(ङ) बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र के क्रियाकलापों पर रिपोर्ट तैयार करेगा; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) बोर्ड द्वारा कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां वे होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) कार्यपालक निदेशक, यदि उसकी यह राय है कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रादेशिक केन्द्र के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे विषय पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई की अगामी बैठक में ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष।

**24.** संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

सहयुक्त निदेशक (प्रशासन)।

**25.** (1) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) को प्रादेशिक केन्द्र की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

कुल सचिव।

**26.** कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

**27.** वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

**28.** धारा 22 के खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रादेशिक केन्द्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा शक्तियां और कर्तव्य तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्रादेशिक केन्द्र को अनुदान और उधार।

**29.** केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, प्रादेशिक केन्द्र को इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी जो वह सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा किए जाने हेतु उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे।

प्रादेशिक केंद्र की निधि।

**30.** (1) प्रादेशिक केन्द्र एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां;

(ख) प्रादेशिक केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदानों, उपहारों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अन्तरण के रूप में प्रादेशिक केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां; और

(घ) किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्रादेशिक केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा जैसा प्रादेशिक केन्द्र केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चय करे।

(3) निधि निम्नलिखित की पूर्ति के लिए उपयोजित की जाएगी,—

(क) प्रादेशिक केन्द्र के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों या कार्यक्रम सलाहाकर समिति के अध्यक्ष और अन्य समितियों के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उसके शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) प्रादेशिक केन्द्र के, कृत्यों के निर्वहन में और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन यथा परिकल्पित प्रयोजनों के लिए हुए व्यय;

वार्षिक रिपोर्ट।

31. (1) प्रादेशिक केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट, कार्यपालक निदेशक के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ प्रादेशिक केन्द्र द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय सम्मिलित होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) ऐसी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जो उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई है, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

32. (1) प्रादेशिक केन्द्र के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, जो केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(4) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विवरणियां और जानकारी।

33. प्रादेशिक केन्द्र, केन्द्रीय सरकार को, उसकी संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारियां जिसकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देगा।

प्रादेशिक केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

34. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों द्वारा, प्रत्येक चार वर्ष में एक बार प्रादेशिक केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(2) प्रादेशिक केन्द्र, धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन कराने के लिए व्ययों को पूरा करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बोर्ड समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के अतिरिक्त बोर्ड, प्रादेशिक केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंडों के कार्यकरण का, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पुनर्विलोकन कर सकेगा।

35. (1) प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,— प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा-शर्तें।

(क) कार्यपालक निदेशक, संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष के लिए शासक बोर्ड द्वारा;

(ख) अन्य मामलों में कार्यपालक निदेशक द्वारा,

की जाएगी।

(2) धारा 22 के खंड (vii) में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सेवा के निबंधन और शर्तें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में लगे ऐसे कर्मचारीवृंद के संगत होंगी।

36. बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार समिति, कार्यपालिका समिति या प्रादेशिक केन्द्र द्वारा गठित अन्य समितियों की बैठकें, सदस्यों को अनिवार्यत: वास्तविक रूप से उपस्थित हुए बिना सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकियों (जिसके अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है) के समसामयिक यंत्रों का प्रयोग करके आयोजित की जा सकेंगी। बैठकें।

37. धारा 13 के अधीन प्राधिकरणों के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता है। आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

38. प्रादेशिक केन्द्र के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं। प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

39. इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रादेशिक केन्द्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

40. प्रादेशिक केन्द्र और उसके किन्हीं कर्मचारियों के मध्य उदभूत किसी विवाद का प्रथमत: ऐसे शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। माध्यस्थम्।

41. (1) प्रादेशिक केन्द्र के परिनियम शासक बोर्ड द्वारा विरचित किए जाएंगे। परिनियम बनाने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यपालिका समिति परिनियमों की विरचना के लिए बोर्ड को सिफारिश कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन समय-समय पर जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के विकास, विस्तार, कार्यान्वयन और विनियमन से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जैव प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उपबंध करना;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सम्मानिक डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी सम्मान प्रदत्त करने की रीति;

(ग) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन भारत में एक उच्चतर विद्या संस्था के रूप में मान्यता देने और मान्यता वापस लेने के मानक;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन किसी अन्य संस्था में जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, कार्यरत व्यक्तियों की प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारिवृंद के रूप में नियुक्ति की अवधि;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन किसी अन्य संस्था के साथ, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित है; सहकार या सहयोग करने या सहयुक्त होने की रीति और प्रयोजन;

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन अध्येतावृत्तियां, छात्र-वृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(झ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, के साथ अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए करार करना;

(ञ) धारा 13 के खंड (vi) के अधीन अन्य प्राधिकारियों को प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी के रूप में घोषित करना;

(ट) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन यूनेस्को के सदस्य राज्यों में से प्रतिनिधियों की नियुक्ति की रीति;

(ठ) वह समय और रीति जिसमें धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड की बैठक की जाएगी;

(ड) धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ण) धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के ऐसे अन्य कृत्य;

(त) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीसें और भत्ते तथा उनकी पदावधि;

(थ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन कार्यपालिका समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(द) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(ध) धारा 20 के अधीन अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(न) धारा 21 के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें;

(प) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें धारा 22 के खंड (vii) के अधीन प्रादेशिक केन्द्र का अधिकारी घोषित किया जाए;

(फ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति की रीति और उसके सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ब) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कार्यपालक निदेशक की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(भ) बोर्ड द्वारा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां;

(म) धारा 24 के अधीन संकायाध्यक्ष और उपसंकायाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य;

(य) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उपधारा (2) के अधीन उसकी शक्तियां और उसके द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्य;

(यक) धारा 26 के अधीन कुलसचिव की नियुक्ति की रीति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(यख) धारा 27 के अधीन वित्त अधिकारी की नियुक्ति की रीति, उसके सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(यग) धारा 28 के अधीन प्रादेशिक केन्द्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(यघ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को प्रादेशिक केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय;

(यङ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा प्रादेशिक केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंड के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने की रीति और आवृत्ति;

(यच) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उपधारा (2) के अधीन उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें।

(यछ) धारा 40 के अधीन प्रादेशिक केन्द्र और उसके किन्हीं कर्मचारियों के बीच उद्भूत विवादों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र;

(यज) धारा 43 के अधीन प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारियों द्वारा विनियम बनाने की रीति; और

(यझ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित या आवश्यक हो।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

**42.** (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रादेशिक केन्द्र के अध्यादेश कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा बनाए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक केन्द्र के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) भारत में से और प्रादेशिक क्षेत्र के केन्द्र से छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना ;

(ख) पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को प्रादेशिक केन्द्र की परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) प्रादेशिक केन्द्र के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ;

(झ) प्रादेशिक केन्द्र की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम जिसके अन्तर्गत शिक्षण और परीक्षा का माध्यम भी है, अधिकथित करना;

(ञ) डिग्रियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, और उन्हें प्रदान करने और अभिप्राप्त करने की रीति ;

(ट) डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना ;

(ठ) प्रादेशिक केन्द्र के पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित फीस;

(ड) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ढ) अध्ययन केन्द्र, विद्यालयों, विभागों, विशेषित प्रयोगशालाओं, छात्र निवासों और संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध मान्यता और उत्सादन; और

(ण) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियम के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं ।

विनियम।

**43.** प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से संगत हों ।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

**44.** (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम या अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो

तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि, परिनियम या अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भूतलक्षी रूप से परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति।

**45.** यथास्थिति, धारा 41 या धारा 42 या धारा 43 के अधीन परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम या अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम या अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

**46.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, रखा जाएगा ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी को वैश्विक रूप से द्रुतगामी प्रगामी विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जिसमें मनुष्य और पशु क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य देखरेख समाधानों का विकास करने के लिए आण्विक तकनीकों और प्रक्रियाओं को लागू किया जाता है। इससे समाकलनकारी विज्ञान, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान द्वारा अनुसंधान में छात्रों को लगाकर विद्यार्जन और अंतर विद्यार्जन के क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी के मानव संसाधन का सृजन आवश्यक हो गया है। इसी प्रकार, कृषिक और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकीयों के लिए क्रमश: कृषि या पशु-चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरी; पर्यावरणीय जीव विज्ञानियों, पारिस्थितिकीविज्ञों और इंजीनियरों के बीच अंतर-विचार विमर्श आण्विक उत्पत्ति, जैविक ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकीयों के लिए आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, जैव प्रौद्योगिकी में अंतरविद्यार्जन, प्रशिक्षण और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए क्रांतिक प्लेटफार्म प्रौद्योगिकियों में भौतिक अवसंरचना का सृजन करना आवश्यक था।

2. उपरोक्त के दृष्टव्य, कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए एक ऐसा प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का विनिश्चय किया गया था जो कि जैव प्रौद्योगिकी में, विशिष्टतया नए अवसरों के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन लाने तथा कमी वाले क्षेत्रों में प्रतिभा के अंतर को भरने के लिए तैयार किया गया हो। केंद्र की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 20 अप्रैल, 2009 के कार्यपालिक आदेश के माध्यम से की गई थी और इस समय अपने फरीदाबाद स्थित कैम्पस में प्रचालन में है।

3. विद्यमान प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फरीदाबाद, हरियाणा को, उसकी "प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र" नामक एक निगमित निकाय स्थापित करके कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने तथा इस प्रादेशिक केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्रादेशिक केंद्र एक स्वशासी निकाय होगा, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास में मुख्य भुमिका निभाने तथा लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और उनके कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुद्धढ बनाने की प्रत्याशा की जाती है।

4. प्रस्तावित प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2016 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों का उपबंध किया गया है:—

(क) अन्य राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जो यूनेस्कों के सदस्य राज्यों में अवस्थित हैं) के साथ निकट सहयोग करके अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और अपने कृत्यों का निर्वहन करना;

(ख) गवर्नर बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार समिति,व कार्यपालक समिति, वित्त समिति, अध्ययन बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियों और कृत्यों का विनिर्दिष्ट किया जाना;

(ग) प्रादेशिक केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और सेवा-शर्तों का विनिर्दिष्ट किया जाना;

(घ) प्रादेशिक केंद्र द्वारा एक निधि का बनाए रखा जाना तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना;

(ङ) अपनी संपत्ति और क्रियाकलापों के संबंध में केंद्रीय सरकार को विवरणियां तथा अन्य जानकारी का प्रस्तुत किया जाना;

(च) प्राद्रशिक केंद्र के कार्यकरण का केंद्रीय सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना;

(छ) प्रादेशिक केंद्र और उसके कर्मचारियों के बीच के विवादों का माध्यस्थम् द्वारा समाधान किया जाना;

(ज) गवर्नर बोर्ड को परिनियम बनाने, कार्यक्रम सलाहकार समिति को अध्यादेश बनाने; और प्राधिकरण को विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जाना तथा ऐसे परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों को संसद् के समक्ष रखा जाना।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं।

नई दिल्ली;
18 दिसंबर, 2015

डॉ॰ हर्ष वर्धन

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 2**—यह खंड विधेयक में प्रयुक्त कतिपय शब्दों और पदों को परिभाषित करने के लिए है।

**खंड 3**—यह खंड प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रादेशिक केंद्र) की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, जो एक निगमित निकाय होगा और जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में होगा।

**खंड 4**—यह खंड प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए है।

**खंड 5**—यह खंड प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से ही प्रादेशिक केंद्र की स्थापना के प्रभाव का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 6**—यह खंड प्रादेशिक केंद्र की अधिकारिता का उपबंध करने के लिए है, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर स्थापित केंद्रों पर होगा।

**खंड 7**—इस खंड में प्रादेशिक केंद्रों के उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट किया गया है। इसमें यह उपबंधित है कि प्रादेशिक केंद्र प्रौद्योगिकी नीति विकास सहित, जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और ऐसे संबंधित क्षेत्रों में, जैसा वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करते हुए ज्ञान का प्रसार और उसमें अभिवृद्धि करेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि प्रादेशिक केंद्र प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत् विकास के उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण करेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि प्रादेशिक केंद्र प्रादेशिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुकर बनाएगा और क्षेत्र में के देशों में जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता केंद्रों का सृजन करेगा और क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि प्रादेशिक केंद्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार और कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करेगा और उसको सुदृढ़ बनाएगा तथा भारत के भीतर और बाहर के क्षेत्र में उपग्रह केंद्रों के नेटवर्क का संवर्धन करेगा और उसको सुकर बनाएगा।

**खंड 8**—यह खंड प्रादेशिक केंद्र के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे अवसंरचना और प्रौद्योगिकी मंचों की स्थापना करना, जो जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत हो; जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण क्रियाकलापों का निष्पादन करना, जिसके अंतर्गत शिक्षा और अनुसंधान में डिग्रियां प्रदान करना भी है; जैव प्रौद्योगिकी में नवीनता लाने वाले अनुकूल मानव संसाधन उत्पन्न करना, विशिष्टतया नए अवसरों के क्षेत्रों में और अपूर्ण क्षेत्रों में योग्यता की कमी को पूरा करने के लिए; क्षेत्र में सुसंगत अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक खोजें करना; जैव संबंधी जानकारी के लिए डाटा बैंक की स्थापना करने की दृष्टि से सर्वत्र उपलब्ध जानकारियां एकत्र करना, आदि के संबंध में है।

**खंड 9**—यह खंड प्रादेशिक केंद्र के लिए अन्य राष्ट्रीय, प्रादेशिक और यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के घनिष्ठ सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्रवृत्त करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 10**—इस खंड में प्रादेशिक केंद्र की शक्तियों को अधिकथित किया गया है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री (जिसके अंतर्गत मास्टर

डिग्री के प्रमुख एकीकृत कार्यक्रम भी हैं), स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डाक्टर संबंधी डिग्री के उपबंध करना; सम्मानित डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी सम्मान प्रदान करना, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का, जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, सृजन करना तथा उस पर नियुक्ति करना; अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उस प्रयोज्य के लिए ऐसी अन्य संस्थाओं, उद्योगों या अन्य संगठनों के साथ, जिसमें अन्तर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, ऐसे ठहराव करना जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; अभ्यागत आचार्यों, ख्याति प्राप्त आचार्यों, मानद आचार्यों, सम्बद्ध आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो प्रादेशिक केन्द्र की उन्नति और उद्देश्यों के लिए योगदान कर सकें। प्रादेशिक केंद्र के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना तथा किसी जंगम या स्थावर संपत्ति, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, का अर्जन, धारण और प्रबंध करना तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसका व्ययन करना; केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रादेशिक केंद्र की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना; और ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, जो प्रादेशिक केंद्र के उद्देश्यों के अग्रसरण में आवश्यक हों, के संबंध में हैं।

**खंड 11**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था, सभी जातियों, पंथों, मूलवंश या वर्गों के लिए खुला होगा।

**खंड 12**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र ऐसे विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों का उपभाग करेंगे, जो केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक केंद्र के संबंध में यूनेस्को और भारत सरकार के बीच समय-समय पर किए गए करार के अनुसरण में प्रदान करे।

**खंड 13**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र के प्राधिकारी शासक बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार समिति, कार्यपालिका समिति, वित्त समिति, अध्ययन बोर्ड और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा प्रादेशिक केंद्र का प्राधिकारी घोषत किया जाए, होंगे।

**खंड 14**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि शासक बोर्ड भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा; सुसंगत क्षेत्र के, में के तीन विख्यात वैज्ञानिक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी से नीचे नहीं होंगे, उनमें से कम से कम एक भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली महिला होगी; यूनेस्को के महानिदेशक का प्रतिनिधि; यूनेस्को के अन्य सदस्य राज्यों में से ऐसे दो प्रतिनिधि, जिनका ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए प्रादेशिक केन्द्र को चलाने हेतु संसाधनों में सारवान् रूप से योगदान है, से मिलकर बनेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि कार्यक्रम सलाहकार समिति का अध्यक्ष, शासक बोर्ड का स्थायी आमंत्रिती होगा और प्रादेशिक केन्द्र का कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की बैठकों का संयोजक होगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि शासक बोर्ड, अपनी बैठकों के संचालन और उसमें कारबार के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया के नियम विकसित कर सकेगा।

**खंड 15**—इस खंड में बोर्ड की शक्तियां और कृत्य अधिकथित किए गए हैं, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रादेशिक केन्द्र की वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन करने; उसकी व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने तथा उसके सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देने; सेवाओं की परिधि को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्ताव अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा विशेष परामर्शकारी सत्र बुलाने, जिसमें वह अन्य हितबद्ध देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा; और प्रादेशिक केन्द्र से सुसंगठन परियोजनाओं और क्रियाकलापों को करना तथा निधि जुटाने की युक्ति और सामर्थकता का विस्तार करने के संबंध में हैं।

**खंड 16**—यह खंड अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है। इसमें यह उपबंधित है कि अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं या जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**खंड 17**—इस खंड में यह उपबंधित है कि कार्यक्रम सलाहकार समिति, प्रादेशिक केन्द्र का प्रधान शैक्षणिक निकाय होग, जो प्रादेशिक केन्द्र संबंधी वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसका निष्पादन करने का पुनर्विलोकन और मानीटरी करने संबंधी सलाह देगी।

इसमें यह और उपबंधित है कि कार्यक्रम सलाहकार समिति, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष; संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ (यूनेस्को) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य; यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ) के सदस्य राज्यों में से चक्रानुक्रम से तीन सदस्य; केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जैव प्रौद्योगिकी नीति और विधिक विषयों में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले, दो सदस्य; विख्यात वैज्ञानिक या विद्याव्यसनी व्यक्तियों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले छह सदस्य; और कार्यपालक निदेशक, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा, से मिलकर बनेगी।

इसमें यह भी उपबंधित है कि कार्यक्रम सलाहकार समिति, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की योजना बनाने और उसका समन्वय करने संबंधी विषयों पर सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी होगी; प्रादेशिक केंद्र की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के उपांतरणों या पुनर्विलोकन की सिफारिश करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी; प्रादेशिक केंद्र के कार्यक्रमों का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन करने, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी; बोर्ड द्वारा या कार्यपालक निदेशक द्वारा उसे निर्दिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी विषय पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी होगी; अध्यादेश विरचित करने; और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

इसमें यह भी उपबंधित है कि कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उनकी पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**खंड 18**—इस खंड में यह उपबंधित है कि कार्यपालिका समिति, प्रादेशिक केंद्र का प्रबंध करने और प्रबंध संबंधी बोर्ड की नीतियों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

इसमें यह और उपबंधित है कि कार्यपालिका समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

**खंड 19**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि वित्त समिति, वित्तपोषण का पुनर्विलोकन करेगी, वार्षिक बजट प्राक्कलनों, लेखें विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करेगी और उस पर बोर्ड की सिफारिशें करेगी। यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य, उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

**खंड 20**—यह खंड प्रादेशिक केंद्र के अन्य प्राधिकरणों के गठन, उनकी शक्तियों और कृत्यों के बारे में उपबंध करने के लिए है।

**खंड 21**—यह खंड अध्ययन बोर्ड के गठन, उसकी शक्तियों और कृत्यों के बारे में उपबंध करने के लिए है।

**खंड 22**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कार्यपालक निदेशक; संकायाध्यक्ष; उपसंकायाध्यक्ष; सहयुक्त निदेशक (प्रशासन); कुलसचिव; वित्त अधिकारी; और ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा प्रादेशिक केंद्र के अधिकारी घोषित किए जाएं, प्रादेशिक केंद्र के अधिकारी होंगे।

**खंड 23**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति शासक बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

इसमें यह और उपबंधित है कि कार्यपालक निदेशक, प्रादेशिक केंद्र का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा। इसमें कार्यपालक निदेशक की शक्तियों और कृत्यों के बारे में भी उपबंध है।

**खंड 24**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि संकायाध्यक्ष और उपसंकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**खंड 25**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

**खंड 26**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**खंड 27**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**खंड 28**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

**खंड 29**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रादेशिक केंद्रों को अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी, जो वह सरकार, प्रस्तावित विधान के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा किए जाने हेतु उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे।

**खंड 30**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र एक निधि रखेगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां; प्रादेशिक केंद्र द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार; अनुदानों, उपहारों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरण के रूप में प्रादेशिक केंद्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां; और किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्त्रोत से प्रादेशिक केंद्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी।

इसमें यह और उपबंधित है कि निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जो प्रादेशिक केंद्र केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चय करे।

इसमें यह भी उपबंधित है कि निधि, प्रादेशिक केंद्र के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों या कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष और अन्य समितियों के सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक, प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक, प्रस्तावित विधान के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में प्रादेशिक केंद्र के व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोजित की जाएगी।

**खंड 31**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र की वार्षिक रिपोर्ट, कार्यपालक निदेशक के निदेशाधीन तैयार की जाएगी, जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, प्रादेशिक केंद्र द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय सम्मिलित होंगे और शासक बोर्ड को उस तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और शासक बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में उसके रिपोर्ट पर विचार करेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

**खंड 32**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

इसमें यह और उपबंधित है कि संपरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति, शासक बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, यदि कोई हो, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

इसमें यह भी उपबंधित है कि वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, जो केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

इसमें यह और भी उपबंधित है कि संपरीक्षित वार्षिक लेखे, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

**खंड 33**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केंद्र, केंद्रीय सरकार को, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारियां, जिसकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देगा।

**खंड 34**—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों द्वारा, प्रत्येक चार वर्ष में एक बार प्रादेशिक केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने का उपबंध करने के लिए है।

इसमें यह और उपबंधित है कि प्रादेशिक केन्द्र पुनर्विलोकन कराने के लिए व्ययों को पूरा करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि बोर्ड, प्रादेशिक केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंडों के कार्यकरण का, ऐसी रीति से और ऐसे अंतरालों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पुनर्विलोकन कर सकेगा।

**खंड 35**—यह खंड प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है। इसमें उपबंधित है कि नियुक्तियां परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यपालक निदेशक, संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष के लिए शासक बोर्ड द्वारा और अन्य मामलों में कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाएगी।

इसमें यह और उपबंधित है कि प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

इससे यहां भी उपबंधित है कि शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सेवा के निबंधन और शर्तें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में लगे ऐसे कर्मचारिवृंद के संगत होंगी।

**खंड 36**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि शासक बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार समिति, कार्यपालिका समिति या प्रादेशिक केन्द्र द्वारा गठित अन्य समितियों की बैठकें, सदस्यों को अनिवार्यतः वास्तविक रूप से उपस्थित हुए बिना सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकियों (जिसके अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है) के समसामयिक यंत्रों का प्रयोग करके आयोजित की जा सकेंगी।

**खंड 37**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है खंड 13 के अधीन प्राधिकरणों के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र ऐसे व्यक्तियों या निकायों द्वारा भरी जाएंगी, जो उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित करती है और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता है।

**खंड 38**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केन्द्र के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

**खंड 39**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित विधान या परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रादेशिक केन्द्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

**खंड 40**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है प्रादेशिक केन्द्र और उसके किन्ही कर्मचारियों के मध्य उद्भूत किसी विवाद का प्रथमत: ऐसे शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

**खंड 41**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रादेशिक केन्द्र के परिनियम उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर शासक बोर्ड द्वारा विरचित किए जाएंगे।

**खंड 42**—यह खंड कार्यक्रम सलाहकार समिति को उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में अध्यादेश विरचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

**खंड 43**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए, जिसका प्रस्तावित विधान, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो प्रस्तावित विधान, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से संगत हों।

**खंड 44**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**खंड 45**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी, किन्तु किसी परिनियम या अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम या अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

**खंड 46**—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

इसमें यह भी उपबंधित है कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 के उपखंड (1) में प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रादेशिक केंद्र) के नाम से ज्ञात एक संस्था की स्थापना करने का उपबंध है।

2. विधेयक का खंड 29 में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक केंद्र को, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदानों और उधारों के संदाय करने का उपबंध है।

3. विधेयक का खंड 30 में एक निधि को बनाए रखने का उपबंध है, जिसका उपयोग प्रादेशिक केंद्र के, प्रस्तावित विधान के अधीन यथा विनिर्दिष्ट उसके कृत्यों के निर्वहन में होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। निधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां; प्रादेशिक केंद्र द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार; अनुदानों, उपहारों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरण के रूप में प्रादेशिक केंद्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां; और किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्रादेशिक केंद्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, समाविष्ट होंगी। इसमें यह और उपबंधित है कि निधि का उपयोग प्रादेशिक केंद्र के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष, प्रादेशिक केंद्र के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या उसके द्वारा स्थापित अन्य समितियों के सदस्यों के वेतन, भत्ते और और अन्य पारिश्रमिक को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

4. वर्ष 2009 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद, हरियाणा में प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र स्थापित करने में 55.37 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्राक्कलित किया गया है। मानवशक्ति आवश्यकताओं, उपयोग किए जाने योग्य वस्तुओं, कार्यालय व्ययों, अध्येतावृत्तियों, बैठकों, यात्रा आदि पर आवृत्त व्यय लगभग 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होना प्राक्कलित है, जिन्हें केंद्रीय सरकार के बजट संबंधी उपबंधों से पूरा किया जाएगा।

5. विधेयक में भारत की संचित निधि से कोई अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 41 का उपखंड (1) प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी के शासक बोर्ड को उपखंड (2) के अधीन उपवर्णित विषयों की बाबत परिनियम विरचित करने के लिए सशक्त करता है। ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों के सृजन; किसी संस्था के साथ, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं, जो देश के बाहर स्थित हैं, सहकार करने या सहयोग करने या सहयोजन करने की रीति और प्रयोजनों; भारत में या भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए केंद्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना; अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना; अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों, जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जो देश के बाहर अवस्थित है, के साथ अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए करार करने की रीति; अन्य प्राधिकारियों को प्रादेशिक केंद्र के प्राधिकारियों के रूप में घोषित करना; यूनेस्को के सदस्य राज्यों में से प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की रीति; कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उनकी पदावधि; और कार्यपालिका समिति, वित्त समिति, अन्य प्राधिकारियों तथा अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उनके सदस्यों की पदावधि, से संबंधित हैं।

2. खंड 42 का उपखंड (1) कार्यक्रम सलाहकार समिति को उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करता है। ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रों के प्रवेश और उनका नामांकन; पाठ्यक्रम; अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें; परीक्षाओं का संचालन; छात्रों के निवास की शर्तें; सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्र के पाठ्यक्रम अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत शिक्षण और परीक्षा का माध्यम भी हैं; डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना; पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस; से संबंधित हैं।

3. विधेयक के खंड 44 का उपखंड (1) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश और विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। पूर्वोक्त खंड 44 के उपखंड (2) में यह विनिर्दिष्ट है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश या विनियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

4. वे विषय, जिनके संबंध में परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।



GMGIPMRND—4850LS—07.03.2016.